

प्रारूप-छ (संलग्नक-6) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/94105/FIR/FIROZABAD/1028/CFO

दिनांक: 02-09-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **PRAVEEN VIDYAPEETH** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **GATA NO-97, VILLAGE-JAGMUDI, SIRSAGANJ** तहसील - **SIRSAGANJ**, प्लॉट एरिया **8096.65 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **3529.23** (वर्ग मीटर),

ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	12.99 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **PRAVEEN VIDYAPEETH** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **03-09-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **DEEPAK KUMAER** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रशगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **05-09-2023** से **04-09-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **PRAVEEN VIDYAPEETH** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **PRAVEEN VIDYAPEETH** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : शासनादेश संख्या-18/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक 07.01.2022 के अनुसार सत्ता प्राधिकारी से निर्धारण कराया जाना अपेक्षित है। भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य /ढांचागत परिवर्तन किये जाने से पूर्व इस विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक 6 माह में भवन में स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं का किसी प्रशिक्षित एजेंसी (अग्निशमन कार्यों में दक्ष एवं प्रशिक्षण प्राप्त स्नातक अभियंता) से चैक कराकर फायर मॉक ड्रिल एवं वार्षिक फायर ऑडिट कराते हुये रिकार्ड रखेंगे तथा विभाग को अवगत करायेंगे। भवन में स्थापित अग्निशमन यंत्रों को सदैव कार्यशील रखने का उत्तरदायित्व भवन स्वामी की होगी, अग्निशमन व्यवस्था अकार्यशील होने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मानी जाये।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(Satyendra Prasad Pandey)

[B6E0E55BC9A48E07B1E7CDA5052B354287871200]

05-09-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 05-09-2023
स्थान : FIROZABAD